रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 1999/फाल्गुन 7, 1920
No. 114] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 1999/PHALGUNA 7, 1920

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 153 (अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में,–

(क) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(घ) किसी भी काडर के सम्बन्ध में, "प्राधिकृत काडर सदस्य संख्या" से उस काडर के ऐसे कर्तव्यपद अभिप्रेत है जिनके प्रति नियमित नियुक्तियां की जा सकती हों ;';

(ख) खण्ड (ढ) एवं खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

'(ढ) "स्थायी अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे प्रारम्भिक सेवा श्रेणी में स्थायी कर दिया गया हो;

(ण) "परिवीक्षाधीन व्यक्ति" से सीधी भर्ती वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी नियमित रिक्ति पर किसी श्रेणी में परिवीक्षाधीन नियुक्त किया गया हो ;';

(ग) खण्ड (णण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(णणण) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे या तो सीधी भर्ती

अथवा चयन सूची से प्रोन्नति द्वारा नियमित रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तथा जिसने नियम 15 के अधीन, यथास्थिति, परिवीक्षा अथवा परीक्षण समय, नियुक्ति प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में पूरा कर लिया हो;

(णणणण) किसी ग्रेड के सम्बन्ध में "नियमित रिक्तियों" में वे रिक्तियां सम्मिलित हैं जो–

(i) अनिश्चितकाल के लिए उपलब्ध हों;

(ii) प्रतिनियुक्तियों/स्थानान्तरण या अधिकारी के छुट्टी चले जाने पर उत्पन्न हुई हो:

परन्तु यह कि ऐसी रिक्तियां एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए उपलब्ध हों ;' ।

3. उक्त नियमों के, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"6. सेवा की प्राधिकृत काडर सदस्य संख्या–

(1) विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत काडर सदस्य संख्या वह होगी जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए ।

(2) काडर प्राधिकारी आवश्यकतानुसार, काडर में समय–समय पर पदों में ऐसी अस्थाई वृद्धि कर सकते है, जिसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि ऐसी अस्थाई वृद्धि किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढाई नहीं जाएगी ।"

4. उक्त नियमों के, नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"11. पुष्टिकरण–सीधी भर्ती और अन्य नियमित अधिकारियों की सभी नियुक्तियों का पुष्टिकरण, समुचित सेवा श्रेणी में किया जाएगा, न कि सेवा के किसी विनिर्दिष्ट कर्तव्यपद पर ।"

5. उक्त नियमों के, नियम 12 में, उप नियम (1), (2), (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"(1) चयन श्रेणी में रिक्तियां, श्रेणी–1 के नियमित अधिकारियों की, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो और जो उप नियम (4) के अधीन सेवा की श्रेणी–1 के लिए तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित कर लिए गए हों, प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी ।

(2) श्रेणी–1 में रिक्तियां, अनुभाग अधिकारी श्रेणी के नियमित अधिकारियों की जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो; और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी–क एवं ख (सम्मिलित) श्रेणी के नियमित अधिकारियों की जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो, तथा जो कि उप नियम (4) के सेवा की श्रेणी–1 के लिए अधीन तैयार की गई चयन सूची में शामिल कर लिये गये हो, प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी ।"

6. उक्त नियमों के , नियम 13 में,–

(क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा , अर्थात्:

"(1) <u>अनुभाग अधिकारी श्रेणी</u>

किसी भी काडर में अनुभाग अधिकारी श्रेणी में नियमित रिक्तियों का बीस प्रतिशत, आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा । शेष रिक्तियां अनुभाग अधिकारी श्रेणी के लिए चयन सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी । ऐसी नियुक्तियां सिवाय उस स्थिति में जबकि कोई व्यक्ति उसकी बारी आने पर ऐसी नियुक्ति के लिए लेखबद्ध कारणों से उपयुक्त न समझा गया हो, चयन सूची में ज्येष्ठता के क्रम में की जाएंगी :

परन्तु, यह कि एक काडर में किसी भर्ती वर्ष में, या तो सीधी भर्ती या अनुभाग अधिकारी श्रेणी के लिए चयन सूची में शामिल व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो, ऐसी अपूरित रिक्तियां अग्रेनीत की जाएंगी और अगले भर्ती वर्ष में उसी पद्धति से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दी जाएंगी:

परन्तु, यह और कि, ऐसी कोई भी अपूरित रिक्तियां उस सम्बन्धित भर्ती वर्ष के पश्चात् दो भर्ती वर्षों से अधिक के लिए अग्रेनीत नहीं की जाएंगी तथा इसके बाद, यदि किसी एक भर्ती पद्धति की कोई रिक्तियां फिर भी अपूरित रहती हैं तो वे अन्य भर्ती पद्धति में अतिरिक्त रिक्तियों के रूप में स्थानांतरित की जाएंगी ।" ;

(ख) उप नियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उप नियम (6) और (6–क) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियमों को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(6) सहायक श्रेणी:

किसी भी काडर में सहायक श्रेणी में नियमित रिक्तियों का पचास प्रतिशत, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और शेष रिक्तियां उस काडर में सहायक श्रेणी के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियमित नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी ।

(6क) उप नियम (6) के अधीन ऐसे व्यक्तियों की, जिनके नाम चयन सूची में सम्मिलित किए गए हैं, नियुक्तियां उस चयन सूची में ज्येष्ठता के क्रम में की जाएंगी:

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति उसकी बारी आने पर ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो उसके कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि, यदि किसी भर्ती वर्ष में किसी काडर में सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या मे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तो अपूरित रिक्तियां, उस काडर में सहायक श्रेणी की चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति से भर ली जाएंगी।"

7. उक्त नियमों के, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"14. नियमित रिक्तियों के लिए अस्थायी नियुक्तियां करने की शक्ति–

कोई नियमित रिक्ति, नियमित नियुक्तियों के शासी उपबंधों के अनुसार भरी जाने तक अस्थायी रूप से, अस्थायी रिक्तियों के शासी उपबंधों के अनुसार, भरी जा सकेंगी" ।

8. उक्त नियमों के, नियम 18 में:–

(क) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(3) उप नियम (4) और (6) में यथा उपबंधित के सिवाय नियुक्ति दिवस के पश्चात् किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित तरीके से अवधारित की जाएगी, अर्थात् :–

I-चयन श्रेणी एवं श्रेणी–1

नियत दिन के पश्चात, श्रेणी में नियुक्त अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, श्रेणी की चयन सूची में सम्मिलित उनके नामों के क्रम में विनियमित की जाएंगी :

परन्तु यह कि चयन सूची में शामिल कोई अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य कारणों से उस श्रेणी में नियुक्ति के लिए किसी समय इन्कार करता है, तत्पश्चात् किसी भी समय उस श्रेणी में नियुक्ति होने पर, उस अधिकारी के ठीक बाद में रखा जाएगा जो चयन सूची में उस श्रेणी में सबसे अंत में नियुक्त किया गया था।

II-अनुभाग अधिकारी श्रेणी एवं सहायक श्रेणी

(i) नियमित अधिकारी :–

(क) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति, परस्पर, प्रतियोगिता परीक्षा की , जिसके परिणामों के आधार पर वे भर्ती किए गए हैं, योग्यता सूची में क्रमानुसार क्रमबद्ध किए जाएंगे तथा किसी पूर्ववर्ती परीक्षा के सीधी भर्ती वाले व्यक्ति, पश्चात्वर्ती परीक्षा वाले व्यक्तियों से ज्येष्ठ माने जाएंगे ।

परन्तु, यह कि यथास्थिति आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग, द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से भर्ती व्यक्तियों की ज्येष्ठता,–

(i) जिनके मामलों में नियुक्ति प्रस्ताव रद्द करने के पश्चात पुनः प्रवर्तित कर दिया गया हो, या

(ii) जो प्रारम्भ में वैध कारणों से नियुक्त नहीं किए गए हों, परन्तु उत्तरवर्ती परीक्षा या परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भर्ती अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात् नियुक्त किए गए हों,

वह होगी जो केन्द्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की गई हो ;

(ख) किसी श्रेणी की चयन सूची से, उस श्रेणी मे नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, परस्पर उस क्रम में क्रमबद्ध किया जाएगा जिस क्रम में वे नियुक्त किए गए हैं ;

(ग) किसी श्रेणी में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों और उसी श्रेणी के लिए चयन सूची से नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता, इस बाबत चौथी अनुसूची में किए गए उपबन्धों के अनुरूप विनियमित होगी ;

(ii) अस्थायी या स्थानापन्न अधिकारी :–

श्रेणी की चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति, आपस में उस क्रम में क्रमबद्ध किए जाएंगे जिसमें वे चयन सूची में सम्मिलित किए गए हैं तथा वे, उस श्रेणी में अन्य सभी अस्थायी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जो आपस में उस क्रम में दर्ज होंगे जिसमें वे उस श्रेणी में दीर्घकालीन नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए गए हों::

परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित कोई अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य कारणों से इस श्रेणी में नियुक्ति किए जाने से किसी समय इन्कार करता है, तत्पश्चात् उस श्रेणी में किसी समय उसकी नियुक्ति होने पर उस अधिकारी के ठीक बाद में रखा जाएगा जो चयन सूची में से उस श्रेणी में सबसे बाद में नियुक्त किया गया था;";

(ख) उप नियम 4 में, शब्द "अधिष्ठायी रूप से नियुक्त" के स्थान पर " नियमित रूप से नियुक्त" शब्द रखे जाएंगे।"

9. उक्त नियमों के, नियम 22 के, उप नियम (2) में शब्द " प्राधिकृत स्थायी पद संख्या एवं स्थायी और अस्थायी अधिकारियों" के स्थान पर "प्राधिकृत काडर पद संख्या और नियमित अधिकारियों" शब्द रखे जाएगे ।

10. उक्त नियमों के, नियम 22–क का लोप किया जाएगा ।

11. उक्त नियमों की तीसरी अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

12. उक्त नियमों की चौथी अनुसूची में,–

(क) विनियम 2 के, उप विनियम (1) में, शब्द " प्रत्याशित रिक्तियों" के स्थान पर "प्रत्याशित नियमित रिक्तियां" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) विनियम 2क के, उप विनियम (1) में, शब्द "प्रत्याशित अधिष्ठायी रिक्तियों" के स्थान पर "प्रत्याशित नियमित रिक्तियां" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) विनियम 3 के,–

(i) उप विनियम (2) मे, शब्द एवं अंक "विनियम 2" के स्थान पर "विनियम 2 या विनियम 2क" शब्द, अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उप विनियम (3) में,–

(क) शब्द "अधिष्ठायी रूप से" और "अधिष्ठायी" जहा जहां वे आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "नियमित रूप से" और "नियमित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) शब्द, कोष्ठक और अंक "उपनियम (6)" के स्थान पर "उपनियम (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उप विनियम (4) में, शब्द एवं अंक "नियम 13 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसार अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"नियम 13 के उप नियम (6) के प्रथम परन्तुक के अनुसार "नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों";

(iv) दृष्टांत–I में जहां जहां भी "अधिष्ठायी " और "अधिष्ठायी रूप से" शब्दों का उल्लेख है, के स्थान पर क्रमशः "नियमित रूप से" और "नियमित" शब्द रखे जाएगें ;

(v) दृष्टांत–II के स्थान पर निम्नलिखित दृष्टांत रखा जाएगा, अर्थात्:

"दृष्टांत–II

(क) यह परिकल्पना की जाए कि वर्ष 1989 में अनुभाग अधिकारी श्रेणी में भरे जाने के लिए 10 नियमित रिक्तियां हैं । एक सीधी भर्ती के मुकाबले चार प्रोन्नत व्यक्तियों, के अधिकथित अनुपात के निबंधनों के अनुसार रोस्टर में क्रम संख्या 5 और 10 पर सीधी भर्ती के दो अवसर होंगे । यह

मानते हुए कि सीधी भर्ती के इन दोनों अवसरों में से कोई भी नहीं भरा जाता है तो वर्ष 1990 के लिए रिक्तियों की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(i) सेवानिवृति आदि के परिणामस्वरूप उपलब्ध नियमित रिक्तियों की संख्या–परिकल्पित 10

(ii) भरी न गई रिक्तियों की संख्या–दोनों सीधी भर्ती 2

वर्ष 1990 के लिए कुल नियमित रिक्तियां 12

(ख) तब वर्ष 1990 के लिए रोस्टर निम्नलिखित दो चरणों में तैयार किया जाएगा:–

(i) वर्ष 1990 में उपलब्ध होने वाली दस रिक्तियों के संबंध में रोस्टर एक सीधी भर्ती के मुकाबले चार प्रोन्नत व्यक्तियों के अनुपात में रिक्तियों के सामान्य चक्रानुक्रम पर आधारित होगा;

(ii) वर्ष 1989 से अग्रेनीत दो सीधी भर्ती की रिक्तियों को उपर्युक्त (i) में निर्धारित अंतिम अवसर के नीचे सीधी भर्ती के अवसरों के रूप में जोड़ा जाएगा ।

(ग) इसके आगे यह परिकल्पना करते हुए कि पिछले वर्ष की भरी न गई रिक्तियों को शामिल न करते हुए वर्ष 1991 और 1992 में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या 10 है तो वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 के लिए रोस्टर निम्न प्रकार होगा :

1989	1990	1991	1992
1. पी 1	1. पी 1	1. पी 1	1. पी 1
2. पी 2	2. पी 2	2. पी 2	2. पी 2
3. पी 3	3. पी 3	3. पी 3	3. पी 3
4. पी 4	4. पी 4	4. पी 4	4. पी 4
5. डी 1	5. डी 1	5. डी 1	5. डी 1
6. पी 5	6. पी 5	6. पी 5	6. पी 5
7. पी 6	7. पी 6	7. पी 6	7. पी 6
8. पी 7	8. पी 7	8. पी 7	8. पी 7
9. पी 8	9. पी 8	9. पी 8	9. पी 8

10. डी 2	10. डी 2	10. डी 2	10. डी 2
दोनों डी.–1 और	11. डी 1	11. डी 1	11. पी 9@
डी–2 नहीं भरी	12. डी 2	12. डी 2	12. पी 10@
गई ।	पुनः दोनों डी–1	13. डी 1	13. डी 1
	और डी–2 (1990)	14. डी 2	14. डी 2
	तथा डी–1 और	पुनः सीधी भर्ती की	15. डी 1
	डी–2 (1989)	सभी रिक्तियां	16. डी 2
	भी रिक्त रहीं	रिक्त रहीं	@ रिक्तियां (1989) दो वर्षों के अग्रेनीत के पश्चात् निर्मुक्त की गई ।"

(घ) विनियम 4 के, उप विनियम (1) और (3) में, 'अधिष्ठायी रूप से' शब्दों के स्थान पर "नियमित रूप से" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 16/4/88–के. स. (I)-(i)]

कर्ण सिंह, निदेशक (सी एस)

पाद टिप्पण :– मूल नियम भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1306, तारीख 20 सितम्बर, 1962 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग–2,

खण्ड–3 में प्रकाशित तथा तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे:–

क्रम संख्या	स0का0 नि0 सं0	राजपत्र विवरण					अधिसूचना सं0	जारी होने की तिथि
		भाग	खण्ड	उपखण्ड	दिनांक	पृष्ठ सं0		
1	500	II	3	(I)	15.4.67	560	6/68/65-के0स0.I	31.3.67
2	164	II	3	(I)	31.1.70	492	4/60/69- के0स0.I	19.1.70
3	908	II	3	(I)	13.6.70	2139, 2140	6/45/68- के0स0.I	25.5.70
4	977	II	3	(I)	4.7.70	2300, 2301	5/19/67- के0स0.I	26.6.70
5	1803	II	3	(I)	24.10.70	3934	F.1/2/70- के0स0.I	5.10.70
6	30	II	3	(I)	2.1.71	88	1/3/70- के0स0.I	22.12.70
7.	908	II	3	(I)	5.8.72	1948	5/21/72- के0स0.I	19.6.72
8.	509	II	3	(I)	19.5.73	980	1/6/72- के0स0.I	7.5.73
9.	1090	II	3	(I)	6.10.73	1934, 1935	6/28/72- के0स0I	3.10.73
10.	453	II	3	(I)	11.5.74	1030	6/24/73- के0स0.I	29.4.74
11	2368	II	3	(I)	13.9.75	2585, 2586	10/18/74- के0स0.I	29.8.75
12	538	II	3	(I)	17.4.76	1033, 1034	8/11/75- के0स0.I	30.3.76
13	359	II	3	(I)	19.3.77	935	1/7/75- के0स0.I	1.3.77
14	409	II	3	(I)	26.3.77	993	1/5/76- के0स0.I	7.3.77
15	575	II	3	(I)	7.5.77	1525	11/2/76- के0स0.I	11.4.77
16	825	II	3	(I)	2.7.77	1962	5/52/75- के0स0.I	13.6.77
17	986	II	3	(I)	30.7.77	2275	8/20/75- के0स0.I	14.7.77
18	305	II	3	(I)	25.2.78	443	8/14/75- के0स0I	21.2.78
19	916	II	3	(I)	22.7.78	1666	8/10/78- के0स0.I	5.7.78
20	1183	II	3	(I)	30.9.78	2232	21/20/78- के0स0.I	19.9.78
21	258 (E)	II	3	(I)	23.3.79	80	4/73/78- के0स0I	23.3.79
22	1484	II	3	(I)	15.12,79	2902	4/52/78- के0स0.I	29.11.79
23	1512	II	3	(I)	22.12.79	2962	5/26/77- के0स0.I	15.12.79
24	449	II	3	(I)	26.4.80	852	11/4/79- के0स0.I	11.4.80

25	175	II	3	(I)	20.2.82	482	5/71/81- के0स0.I	10.2.82
26	897	II	3	(I)	25.8.84	2191	1/8/83- के0स0.I	28.7.84
27	21	II	3	(I)	12.1.85	57	5/8/80- के0स0.I	29.12.84
28	81	II	3	(I)	26.1.85	199	1/1/84- के0स0.I	8.1.85
29	531	II	3	(I)	30.10.93	1866	11/2/89- के0स0.I	30.7.93
30	27	II	3	(I)	8.1.94	63	1/4/92- के0स0.I	8.12.93
31	13 (E)	II	3	(I)	21.6.95	2	5/23/94- के0स0.I	21.6.95

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 1999

G.S.R. 153(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely .-

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2 In the Central Secretariat Service Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, -

(a) for clause (d), the following clause shall be substituted namely:-

'(d) "authorised cadre strength", in relation to a cadre, means the strength of duty posts in that cadre against which regular appointments may be made;' ;

(b) for clauses (n) and (o), the following clauses shall be substituted, namely:-

'(n) "permanent officer" means a person who has been confirmed in the entry grade;

(o) "Probationer" means a direct recruit appointed to a grade on probation against a regular vacancy;';

(c) after clause (oo), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(ooo) "regular officer", in relation to any grade, means a person who has been appointed against a regular vacancy either through direct recruitment or through promotion from Select List and who has completed the period of probation or trial, as the case may be, under rule 15 to the satisfaction of the appointing authority;

(oooo) "regular vacancies", in relation to a grade, includes vacancies-

(i) available for an indefinite period;

(ii) arising out of deputation/ transfer or leave of incumbents:

Provided that such vacancies are available for one year or more;'.

3. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. The authorised cadre strength of the Service, -(1) The authorised cadre strength of various Grades shall be such as may be determined, from time to time, by the Central Government.

(2) The cadre authority may make temporary additions to a cadre as it may deem necessary from time to time:

Provided that such temporary additions shall not be extended in any case beyond a period of one year.".

4. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-

"11. Confirmation- All confirmations of direct recruits and other regular officers shall be made to the appropriate grade of the Service and not against any specified duty post of the Service." .

5. In the said rules, in rule 12, for sub-rules *(1), (2)* and *(3)*, the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"*(1)* Vacancies in the Selection Grade shall be filled by promotion of regular officers of Grade I who have rendered not less than five years' approved service in that grade and are included in the Select List for the Selection Grade prepared under sub-rule *(4)*.

(*2*) Vacancies in Grade I shall be filled by promotion of regular officers of the Section Officers' Grade who have rendered not less than eight years' approved service in that Grade and of regular officers of Grades A and B (merged) of the Central Secretariat Stenographers' Service who have rendered not less than eight years' approved service in that Grade and are included in the Select List for Grade I of the Service prepared under sub-rule (*4*).".

6. In the said rules, in rule 13,-

(a) for sub-rule (*1*), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(*1*) **SECTION OFFICERS' GRADE**

Twenty per cent. of the regular vacancies in the Section Officers' Grade in any cadre shall be filled by direct recruitment on the basis of the result of a competitive examination held by the Commission for this purpose, from time to time. The

remaining vacancies shall be filled by appointment of persons included in the Select List for the Section Officers' Grade. Such appointments shall be made in the order of seniority in the select List except when for reasons to be recorded in writing, a person is not considered fit for such appointment on his turn:

Provided that if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies in a cadre in any recruitment year, either by direct recruitment or by appointment of persons included in the Select List for Section Officers' Grade, the unfilled vacancies shall be carried forward and added to the number of vacancies of the same mode of recruitment to be filled in the next recruitment year.

Provided further that no such unfilled vacancies shall be carried forward for more than two recruitment years, beyond the year to which the recruitment relates, where after the vacancies if any, still remaining unfilled belonging to one mode of recruitment shall be transferred as additional vacancies for the other mode of recruitment";

(b) sub-rule (3) shall be omitted;

(c) for sub-rule (6) and (6-a), the following sub-rules shall be substituted, namely :-

"(6) ASSISTANTS' GRADE

Fifty per cent. of the regular vacancies in the Assistants' Grade in any cadre shall be filled by direct recruitment on the basis of results of a competitive examination held by the Staff Selection Commission for this purpose, from time to time and the remaining vacancies shall be filled by regular appointment of persons included in the Select List for the Assistants' Grade in that cadre.

(6A) The appointments under sub-rule (6) of the persons whose names have been included in the Select List shall be made in the order of seniority in that Select List:

Provided that where a person is not considered fit for such appointment in his turn, the reasons therefor shall be recorded in writing:

Provided further that if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies in a cadre in any recruitment year by direct recruitment, the unfilled vacancies in that cadre shall be filled by appointment of persons included in the Select List of Assistants' Grade in that cadre.".

7 In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely :-

"14. Power to make temporary appointments against regular vacancies- A regular vacancy may be filled temporarily in accordance with the provisions governing appointment to temporary vacancies in the relevant Grade until it is filled in accordance with the provisions governing regular appointments."

8. In the said rules, in rule 18,-

(a) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely -

"(3) Except as provided in sub-rules (4) and (6), the seniority of persons appointed to any Grade after the appointed day shall be determined in the following manner, namely :-

I **Selection Grade and Grade I**

The seniority inter se of officers appointed to the Grade after the

appointed day shall be regulated by the order in which their names are included in the Select List for the Grade :

Provided that an officer included in the Select List who refuses at any time to be appointed to the Grade for reasons acceptable to the appointing authority shall, on his appointment to the Grade at any time thereafter, be placed immediately after the officer who was last appointed to that Grade from the Select List.

II Section Officers' Grade and Assistants' Grade.

(i) Regular Officers :-

(a) Direct Recruits shall be ranked inter se in the order of merit in which they are placed at the competitive examination on the results of which they are recruited, the recruits of an earlier examination being ranked senior to those of a later examination:

Provided that the seniority of persons recruited through the competitive examination held by the Commission or the Staff Selection Commission, as the case may be,-

(i) in whose case offer of appointment are revived after being cancelled, or

(ii) who are not initially appointed for valid reasons but are appointed after the appointment of candidates recruited on the basis of results of the subsequent examination or examinations,

shall be such as may be determined by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions in consultation with the Commission;

(b) persons appointed regularly to a Grade from the Select List for the Grade shall be ranked inter se according to the order in which they are so appointed;

(c) The relative seniority of direct recruits to a Grade and persons regularly appointed to the Grade from the Select list for the Grade shall be regulated in accordance with the provisions made in this behalf in the Fourth Schedule;

(ii) Temporary or officiating Officers:-

Persons included in the Select List for the Grade shall rank inter se in the order in which they are included in the Select List and shall rank senior to all other temporary officers in the Grade who shall rank inter se in the order in which they are approved for long term appointment to the Grade:

Provided that an officer included in the Select List who refuses at any time to be appointed to the Grade for reasons acceptable to the appointing authority shall, on his appointment to the Grade at any time thereafter, be placed immediately after the officer who was last appointed to that Grade from the Select List;";

(b) in sub-rule (4), for the word "substantively", the word "regularly" shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 22, in sub-rule(2), for the words "the authorised permanent strength and the permanent and temporary officers", the words "the authorised cadre strength and the regular officers" shall be substituted.

10. In the said rules, rule 22A shall be omitted.

11. In the said rules, the Third Schedule shall be omitted.

12. In the said rules, in the Fourth Schedule,-

(a) in regulation 2, in sub regulation (1), for the words "anticipated vacancies", the words "anticipated regular vacancies" shall be substituted;

(b) in regulation 2A, in sub-regulation (l), for the words "anticipated substantive vacancies" the words "anticipated regular vacancies" shall be substituted;

(c) in regulation 3,-

(i) in sub-regulation (2), for the words and figure "regulation 2", the words, figures and letter "regulation 2 or regulation 2A" shall be substituted;

(ii) in sub regulation (3),-

(A) for the words "substantively" and " substantive", wherever they occur, the words "regularly" and "regular" shall respectively be substituted;

(B) for the words, brackets and figures "sub-rule (6)", the words, brackets and figure " sub-rule (2)" shall be substituted;

(iii) in sub-regulation (4), for the words and figures "persons appointed substantively in accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 13", the following shall be substituted, namely :-

"Persons appointed regularly in accordance with the first proviso to sub rule (2) of rule 13";

(iv) in illustration I, for the words "substantive" and "substantively", wherever they occur, the words "regular" and "regularly" shall respectively be substituted;

(v) for Illustration II, the following illustration shall be substituted, namely:-

"ILLUSTRATION -II

A. Let it be assumed that there are ten regular vacancies to be filled in the Section Officers' Grade in the year 1989. In terms of the laid down proportion of four promotees to one direct recruit there would be two slots for direct recruits at position numbers 5 and 10 of the roster. Assuming that neither of those direct recruits slots is filled, the vacancies for the year 1990 would be calculated as follows :-

(i) Number of regular vacancies arising as a result of retirement, etc - assumed-	10
(ii) Number of unfilled vacancies - both direct recruits.	2.
Total regular vacancy for 1990	**12**

B. The roster for the year 1990 would then be prepared in the following two stages:-

(i) in respect of the ten vacancies arising in the year 1990, the roster shall be based on the normal rotation of vacancies in the proportion of four promotees to one direct recruit;

(ii) the two direct recruit vacancies carried forward from the year 1989 would be added as direct recruits slots below the last slot determined vide (i) above.

C. Further assuming that the number of vacancies arising in 1991 and 1992 not taking into account the unfilled vacancies of the previous year is also ten, the roster for the year 1989, 1990, 1991 and 1992 would be as follows :-

1989	**1990**	**1991**	**1992**
1. P1	1. P1	1. P1	1. P1
2. P2	2. P2	2. P2	2. P2
3. P3	3. P3	3. P3	3. P3
4. P4	4. P4	4. P4	4. P4
5. D1	5. D1	5. D1	5. D1
6. P5	6. P5	6. P5	6. P5
7. P6	7. P6	7. P6	7. P6
8. P7	8. P7	8. P7	8. P7
9. P8	9. P8	9. P8	9. P8
10. D2	10. D2	10. D2	10. D2
Both D1&	11. D1	11. D1	11. P9@
D2 remain	12. D2	12. D2	12. P10@
unfilled.	Again both	13. D1	13. D1
	D1 & D2(1990)	14. D2	14. D2
	as also D1 & D2	Again all	15. D1
	(1989) remained	direct recruit	16. D2
	unfilled.	vacancies	@Vacancies(1989)
		remained	released after two years
		unfilled	of carry forward".;

(d) in regulation 4, in sub-regulations(1) and (3), for the word "substantively", the word "regularly" shall be substituted.

[F. No. 16/4/88/CS-I-(i)]
KARAN SINGH, Director (CS)

FOOTNOTE

The Principal Rules were published vide the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. GSR - 1306 dated the 20th September, 1962 in the Gazette of India, Part II, Section 3 and subsequently amended by-

S.NO.	G.S.R. NO.	DETAILS OF GAZZETE NOTIFICATION					NOTIFICATION NO.	DATED
		PART No.	SECTION NO.	SUB-SECTION NO.	DATE OF PRINT	PAGE NO.		
1	500	II	3	(I)	15.4.67	560	6/68/65-CS.I	31.3.67
2	164	II	3	(I)	31.1.70	492	4/60/69-CS.I	19.1.70
3	908	II	3	(I)	13.6.90	2139 2140	6/45/68-CS.I	25.5.70
4	977	II	3	(I)	4.7.70	2300 2301	5/19/67-CS.I	26.6.70
5	1803	II	3	(I)	24.10.70	3934	F.1/2/70-CS.I	5.10.70
6	30	II	3	(I)	2.1.71	88	1/3/70-CS.I	22.12.70
7.	908	II	3	(I)	5.8.72	1948	5/21/72-CS.I	19.6.72
8.	509	II	3	(I)	19.5.73	980	1/6/72-CS.I	7.5.73
9.	1090	II	3	(I)	6 10.73	1934 1935	6/28/72-CS.I	3.10.73
10.	453	II	3	(I)	11.5.74	1029	6/24/73-CS.I	29.4.74
11	2368	II	3	(I)	13.9.75	2585 2586	10/18/74-CS.I	29.8.75

12	538	II	3	(I)	17.4.76	1033 1034	8/11/75-CS.I	30.3.76
13	359	II	3	(I)	19.3.77	935	1/7/75-CS.I	1.3.77
14	409	II	3	(I)	26.3.77	993	1/5/76-CS.I	7.3.77
15	575	II	3	(I)	7.5.77	1525	11/2/76-CS.I	11.4.77
16	825	II	3	(I)	2.7.77	1962	5/52/75-CS.I	13.6.77
17	986	II	3	(I)	30.7.77	2275	8/20/75-CS.I	14.7.77
18	305	II	3	(I)	25.2.78	443	8/14/75-CS.I	21.2.78
19	916	II	3	(I)	22.7.78	1666	8/10/78-CS.I	5.7.78
20	1183	II	3	(I)	30.9.78	2232	21/20/78-CS.I	19.9.78
21	258 (E)	II	3	(I)	23.3.79	80	4/73/78-CS.I	23.3.79
22	1484	II	3	(I)	15.12,79	2902	4/52/78-CS.I	29.11.79
23	1512	II	3	(I)	22.12.79	2962	5/26/77-CS.I	15.12.79
24	449	II	3	(I)	26.4.80	852	11/4/79-CS.I	11.4.80
25	175	II	3	(I)	20.2.82	482	5/71/81-CS.I	10.2.82
26	897	II	3	(I)	25.8.84	2191	1/8/83-CS.I	28.7.84
27	21	II	3	(I)	12.1.85	57	5/8/80-CS.I	29.12.84
28	81	II	3	(I)	26.1.85	199	1/1/84-CS.I	8.1.85
29	531	II	3	(I)	30.10.93	1866	11/2/83-CS.I	30.7.93
30	27	II	3	(I)	8.1.94	63	1/4/92-CS.I	8.12.93
31	13 (E)	II	3	(I)	21.6.95	2	5/23/94-CS.I	21.6.95

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 154 (अ).—कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 18 के उप नियम (4) और नियम 23 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की ज्येष्ठता) विनियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (स्थानांतरित अधिकारियों की ज्येष्ठता) संशोधन विनियम, 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (स्थानांतरित अधिकारियों की ज्येष्ठता) विनियम, 1963 (जिसमें इन्हें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), के विनियम 3 में,–

(क) उप विनियम (2) में,–

(i) खण्ड (i) में शब्द "स्थाई अधिकारियों" के स्थान पर "अन्य नियमित रूप से नियुक्त अधिकारियों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खण्ड (ii) में शब्द "स्थाई या अस्थाई अधिकारियों" के स्थान पर "अन्य नियमित रूप से नियुक्त अधिकारियों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) कोई पदोन्नत अधिकारी, जो कि सहायक श्रेणी में पुराने काडर में ज्येष्ठता के आधार पर उस श्रेणी की चयन सूची में सम्मिलित है अथवा किया गया था, उसका अन्य काडर में स्थानान्तरण होने पर ज्येष्ठता, उस श्रेणी में नये काडर में नियुक्त अधिकारियों के मध्य ज्येष्ठतम पदोन्नत उस अधिकारी के ठीक ऊपर समनुदेशित की जाएगी जो कि सहायक श्रेणी में ज्येष्ठता

के आधार पर नये काडर में उसी वर्ष की चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो और जिसकी नियमित नियुक्ति की तारीख उस स्थानान्तरित अधिकारी के बाद की हो ";

(iv) खण्ड (iv) में शब्द "अस्थाई अधिकारियों" के स्थान पर "नियमित रूप से नियुक्त अधिकारियों" शब्द रखे जाऐंगे ;

(v) नीचे टिप्पण का लोप किया जाएगा ;';

(ख) उप विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(4) नियत तारीख के पश्चात् किसी काडर की सहायक श्रेणी में नियुक्त किसी सेवा के सदस्य का किसी अन्य काडर में स्थानान्तरण होने पर, उसकी ज्येष्ठता उस श्रेणी में नियत तारीख के बाद नये काडर में नियुक्त अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार समनुदेशित की जाएगी, अर्थात्:–

(i) सीधी भर्ती वाले अधिकारी की ज्येष्ठता, नये काडर मे नियमित अधिकारियों के मध्य इस प्रकार समनुदेशित की जाएगी मानो कि किसी सीधी भर्ती अधिकारी का उस काडर में उसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप आबंटन किया गया हो जिसके माध्यम से वह भर्ती किया गया है ;

(ii) कोई पदोन्नत अधिकारी , जो कि में पुराने काडर में श्रेणी की चयन सूची में सम्मिलित है अथवा किया गया था, उसका अन्य काडर में स्थानान्तरण होने पर ज्येष्ठता, नये काडर में उस श्रेणी में नियत तारीख के बाद नियुक्त अधिकारियों के मध्य ज्येष्ठतम पदोन्नत उस अधिकारी के ठीक ऊपर समनुदेशित की जाएगी जो कि सहायक श्रेणी में ज्येष्ठता के आधार पर नये काडर में उसी वर्ष की चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो जिसकी नियमित नियुक्ति की तारीख उस स्थानान्तरित अधिकारी के बाद की हो" ।

3. उक्त विनियमों में शब्द "गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" ।

[फा. सं. 16/4/88-के. स. (I)-(ii)]

कर्ण सिंह, निदेशक (सी एस)

पाद टिप्पण:

मूल विनियम गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 28/62/ I—के0स0 (क), तारीख 26 मार्च, 1963 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 1999

G.S.R. 154(E).—In pursuance of sub-rule(4) of rule 18 and rule 23 of the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions hereby makes the following regulations to amend the Central Secretariat Service (Seniority of Transferred Officers) Regulations, 1963, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service(Seniority of Transferred Officers) Amendment Regulations, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 3 of the Central Secretariat Service(Seniority of Transferred Officers) Regulations, 1963 (hereinafter referred to as the said regulations),-

"(a) in sub-regulation (2),-

(i) in clause (i), for the words "permanent officers" the words "other regularly appointed officers" shall be substituted;

(ii) in clause(ii) for the words "permanent or temporary officers", the words "other regularly appointed officers" shall be substituted;

(iii) for clause(iii), the following clause shall be substituted namely :-

"(iii) A promoted officer who had been or is included in the Select List for

the Grade in the old cadre on the basis of seniority in the Assistants' Grade shall, on his transfer to another cadre, be assigned seniority vis-a-vis officers appointed to that Grade in the new cadre just above the senior most promoted officer included on the basis of seniority in the Assistants' Grade in the Select List of the same year in the new cadre whose date of regular appointment is later than that of the transferred officer";

(iv) in clause(iv) for the words "temporary officers", the words "regularly appointed officers" shall be substituted;

(v)Note below shall be omitted.

(b) for sub-regulation(4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(4) A member of the service appointed to the Assistants' Grade of any cadre after the appointed day shall, on his transfer to another cadre, be assigned seniority vis-a-vis officers appointed to that Grade after the appointed day in the new cadre as follows, namely:-

(i) A direct recruit shall be assigned seniority vis-a-vis regular officers of the Grade in the new cadre as if he were a direct recruit allotted to that cadre on the results of the same competitive examination from which he has been recruited.

(ii) A promoted officer who had been or is included in the Select List for the Grade in the old cadre shall on his transfer to another cadre be assigned seniority vis-a-vis officers appointed to that Grade in the new cadre after the appointed day just above the senior most regular promoted officer included in the Select List of the new cadre, whose date of regular appointment is later than that of the transferred officer."

3. In the said regulations for the words "Department of Personnel and Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs" wherever they occur, the following words shall be substituted, namely:-

"Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions".

[F. No. 16/4/88/CS-I-(ii)]
KARAN SINGH, Director (CS)

FOOTNOTE

Principal Regulations were published vide the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. 28/62/I CS(A) dated the 26th March, 1963.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 155 (अ).— कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12 के उप नियम (4) और नियम 23 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी– । और चयन श्रेणी के लिए पदोन्नति) विनियम, 1964 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी– । और चयन श्रेणी के लिए पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 कहलायगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी– । और चयन श्रेणी के लिए पदोन्नति) विनियम, 1964 (जिसमें इन्हें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), में,–

(क) विनियम 4 के उप विनियम (2) और विनियम 5 के उप विनियम (2) के खण्ड (ग) के उप खण्ड (i) में पद "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" के स्थान पर, पद "कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" पद रखा जाएगा ;

(ख) "गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" पद जहां जहां वह आता है, के स्थान पर "कार्मिक, लोक अभियोग तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" पद रखा जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 5 में,–

(क) उप विनियम (2) में,–

(i) खण्ड (क) में शब्द "अधिष्ठायी" और "अधिष्ठायी रूप से" जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "नियमित" और "नियमित रूप से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खण्ड (ख) में शब्द "स्थाई" और "अधिष्ठायी रूप से" के स्थान पर क्रमशः "नियमित" और "नियमित रूप से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (ग) में,–

(i) उप खण्ड (ii) के नीचे उदाहरण में, शब्द "अधिष्ठायी रिक्तियां" के स्थान पर "नियमित रिक्तियां" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उप खण्ड (iii) में, शब्द "अधिष्ठायी रूप से" के स्थान पर "नियमित रूप से" शब्द रखे जाएंगे ;

4. उक्त विनियमों के, विनियम 6 में,–

(क) उप विनियम (1) में शब्द "अधिष्ठायी रूप से" के स्थान पर "नियमित रूप से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप विनियम (3) में, खण्ड (क) में, शब्द "अधिष्ठायी रूप से" के स्थान पर "नियमित रूप से" शब्द रखे जाएंगे ;

5. उक्त विनियमों में शब्द "गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" ।

[फा. सं. 16/4/88-के. स. (I)-(iii)]

कर्ण सिंह, निदेशक (सी एस)

पाद टिप्पण

मूल विनियम गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 25/5/63–के0स0 (क), तारीख 23 मार्च, 1964 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग–2, खण्ड–3 में प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात अधिसूचना सं0 फा0 4/5/82–के0स0, तारीख 26 जुलाई, 1983 के द्वारा संशोधित किए गए है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 1999

G.S.R. 155(E).—In pursuance of sub-rule(4) of rule 12 and rule 23 of the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions hereby makes the following regulations to amend the Central Secretariat Service(Promotion to Grade I and Selection Grade) Regulations, 1964, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service (Promotion to Grade-I and Selection Grade) Amendment Regulations, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Regulations, 1964 (hereinafter referred to as the said regulations),-

(a) in sub-regulation (2) of regulation 4 and sub-clause (i) of clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 5 , for the expression "Department of Personnel and Administrative Reforms", the expression "Department of Personnel and Training" shall be substituted.

(b) for the expression "Department of Personnel and Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs", wherever it occurs, the expression "Department of Personnel & Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" shall be substituted.

3. In the said regulations, in regulation 5,-

(a) In sub-regulation(2),-

(i) in clause (a) for the words "substantive" and "substantively", wherever they occur, the words "regular" and "regularly", shall respectively be substituted;

(ii) in clause (b), for the words "Permanent" and "substantively", the words "regular" and "regularly" shall respectively be substituted.

(b) in clause (c),-

(i) in the illustration below sub-clause (ii), for the words "substantive vacancies", the words "regular vacancies" shall be substituted;

(ii) in sub clause (iii), for the word "substantively", the word "regularly" shall be substituted.

4. In the said regulations, in regulation 6,-

(a) in sub-regulations (1) for the word "substantively", the word "regularly" shall be substituted;

(b) in sub-regulation (3), in clause (a), for the word "substantively", the word "regularly" shall be substituted.

5. In the said regulations for the words "Department of Personnel and Administrative Reforms in the Ministry of Home Affairs" wherever they occur, the following words shall be substituted, namely:-

"Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions."

[F. No. 16/4/88/CS-I-(iii)]
KARAN SINGH, Director (CS)

FOOTNOTE

Principle Regulations were published vide the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification of 25/5/63-CS(A) dated 23.3.1964, Gazette of India, Part-II, Section III and subsequently amended by-

S.No.	Notification No.	Dated
1.	F.4/5/82-CS.I	26.7.83

5840/1/99-5

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054